न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. साधना शर्मा (RAS)

वाद पत्र संख्या :–390/2019

पुनः दर्ज वाद पत्र संख्या :–158/2021 दर्ज दिनांक– 13.09.2021

शीर्षक

मदनलाल पुत्र चून्नीलाल जाति रेगर निवासी अम्बेडकर नगर तन बडनगर पावटा जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1 जग्गा पुत्र नेता
2 गंगा पत्नी नेता (नाम हज्फ दि. 25.08.2022)
3 शिम्भू
4. कैलाश उर्फ राधेश्याम (नाम हज्फ दि. 25.08.2022)
5. मामराज पुत्रान नेता
6. सुशीला पत्नि प्रभू पुत्र नेता
7 जितेन्द्र पुत्र प्रभू पुत्र नेता
8 नीता
9 मीना
10 सीमा पुत्रीयान प्रभू पुत्र नेता जातियान रेगर निवासी अम्बेडकर नगर तन बडनगर पावटा जिला जयपुर ।
11 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब पावटा, जिला जयपुर
12 श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब पावटा, जिला जयपुर राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः 18.02.2026

1. वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री नरेश कुमार यादव वादपत्र निम्नानुसार पेश है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1085/0.03, 10860.22, 1087/0.27, 1088/0.05, 1089/0.20, 1090/0.46, 1091/0.23, 1092/0.34, 1093/0.034, 1095/0.68, 1096/0.45, 1097/0.31 कुल किता 12 रकबा 3.58 हैक्टयर भूमि वाके मौजा बडनगर तहसील पावटा, जिला जयपुर, राजस्थान की खातेदारी भूमि में देवाराम पुत्र सेडूराम का 1/2 हिस्सा जरिये वसीयतनामा वादी के नाम खातेदारी दर्ज है इसी तरह काबिज रह कर उक्त आराजी खसरा नम्बरान की भूमि पर 1/2 हिस्से पर वादी काबिज काश्त करता चला आ रहा है। खसरा नम्बर 1084/0.80 वाकै मौजा बडनगर तह पावटा की भूमि में देवाराम पुत्र सेडूराम का हिस्सा 1/4 वादी के नाम जरिये वसीयत खातेदारी अंकित है। इस प्रकार आराजी खसरा नम्बर की भूमि में वादी तथा प्रतिवादीगण के रिहायसी व चारा व पशुओं के लिये मकानात बने हुये है। तथा काश्त करके अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है।

2. वादी द्वारा उक्त खसरा नम्बरान 1085/0.03, 10860.22, 1087/0.27, 1088/0.05, 1089/0.20, 1090/0.46, 1091/0.23, 1092/0.34, 1093/0.034, 1095/0.68, 1096/0.45, 1097/0.31, 1084/0.80 वाकै मौजा बडनगर तह पावटा जिला जयपुर के संबंध में तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र पेश किया गया। दावा काबिले समात पाया जाना पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तल्ब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 व 04 का दिनांक 25.08.2022 नाम हज्फ किया गया। बावजूद सम्मन तामिल के बाद भी उपस्थित नही आने के कारण प्रतिवादी संख्या 01, 03 व 05 लगायत 10 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गयी। दिनांक 22.12.2022 को वकील वादी की बहस उपरान्त वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार को बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट हेतू लिखा गया।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

3. दिनांक 05.09.2024 को तहसीलदार पावटा से कुर्रेजात बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो आगामी नियत दिनांक पर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 19.09.2024 वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादपत्र में वर्णित व कुर्रेजात में वर्णित खसरा नम्बर का मिलान नही हो पा रहा है इसलिए पुनः सही कुर्रेजात मंगवायी जावे। वादी का निवेदन स्वीकार कर तहसीलदार पावटा को पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट हेतू लिखा गया। दिनांक 06. 12.2024 को तहसीलदार पावटा से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई।

4. वादी वकील ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। दिनांक 19.05.2025 को वादी वकील ने आपत्ति प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पुनः बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतू निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी वकील का आपत्ति प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार कर तहसीलदार पावटा को पुनः बंटवारा रिपोर्ट हेतू लिखा गया। दिनांक 16.07.2025 को तहसीलदार पावटा से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 18.08.2025 को वादी वकील ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। दिनांक 27.08.2025 को वादी वकील द्वारा पेश आपत्ति प्रार्थना पत्र बाद बहस न्यायहित मे स्वीकार कर तहसीलदार पावटा को पुनः बंटवारा रिपोर्ट हेतू लिखा गया। दिनांक 16.01.2026 को तहसीलदार पावटा से बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई जो आगामी नियत दिनांक को शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 04.02.2026 को वादी स्वयं उपस्थित आकर बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी स्वयं उपस्थित आकर आपत्ति प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतू निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया जाकर अध्ययन व मूल्यांकन किया गया। इससे पूर्व 03 बार तहसीलदार पावटा से बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। तथा हर बार वादी/वादी वकील ने आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा इस बार भी वादी स्वयं के द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया। इससे साफ–साफ जाहिर हो रहा है कि वादी स्वयं प्रकरण में अनावश्यक देरी की नियत से उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र बार–बार पेश कर रहा है। तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार वादपत्र अन्तिम निर्णय डिक्री किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

5 अतः वादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांकित 04.02.2026 खारिज किया जाकर तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1085/0.03, 10860.22, 1087/0.27, 1088/0.05, 1089/0.20, 1090/0.46, 1091/0.23, 1092/0.34, 1093/0.034, 1095/0.68, 1096/0.45, 1097/0.31, 1084/0.80 वाकै मौजा बडनगर तहसील पावटा, जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	**मदन लाल पुत्र चुन्नीलाल जाति रैगर सा.देह खातेदार**	**1086/2/0.21, 1090/0.46, 1096/0.45, 1097/0.31, 1095/1/0.3210 हैक्ट0 भूमि ।**
2	**कैलाश हि. 1/10, जग्गा हि. 1/10, मामराज हि. 1/10, शिम्भु हि. 1/10 पुत्रान नेता, गंगा पत्नि नेता हि. 1/10, जितेन्द्र हि. 1/10, नीतू हि. 1/10, मीना हित्र 1/10, सीमा हि. 1/10 पिता प्रभू, सुशीला पत्नि प्रभू हि. 1/10 समस्त जाति रैगर सा.देह खातेदार (राहिन जग्गा पुत्र नेता का हि. पूर्ण सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा पावटा)**	**1091/1/0.2270, 1085/0.03, 1087/2/0.2610, 1089/1/0.1940, 1092/0.34, 1093/0.34, 1095/2/0.3590 हैक्ट0 भूमि ।**

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

3	समलाती हि. खाता सं. 47 के अनुसार (राहिन खाता संख्या 47 के अनुसार)	1086/1/0.01, 1087/1/0.009, 1091/2/0.003, 1089/2/0.0060, 1088/0.0500 हैक्ट0 भूमि।

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावें। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(डॉ. साधना शर्मा, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद पत्र संख्या :–390/2019

पुनः दर्ज वाद पत्र संख्या :–158/2021 दर्ज दिनांक– 13.09.2021

शीर्षक

मदनलाल पुत्र चून्नीलाल जाति रेगर निवासी अम्बेडकर नगर तन बडनगर पावटा जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1 जग्गा पुत्र नेता
2 गंगा पत्नी नेता (नाम हज्फ दि. 25.08.2022)
3 शिम्भू
4. कैलाश उर्फ राधेश्याम (नाम हज्फ दि. 25.08.2022)
5. मामराज पुत्रान नेता
6. सुशीला पत्नि प्रभू पुत्र नेता
7 जितेन्द्र पुत्र प्रभू पुत्र नेता
8 नीता
9 मीना
10 सीमा पुत्रीयान प्रभू पुत्र नेता जातियान रेगर निवासी अम्बेडकर नगर तन बडनगर पावटा जिला जयपुर ।
11 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब पावटा, जिला जयपुर
12 श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब पावटा, जिला जयपुर राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

अतः वादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांकित 04.02.2026 खारिज किया जाकर तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1085/0.03, 10860.22, 1087/0.27, 1088/0.05, 1089/0.20, 1090/0.46, 1091/0.23, 1092/0.34, 1093/0.034, 1095/0.68, 1096/0.45, 1097/0.31, 1084/0.80 वाकै मौजा बडनगर तहसील पावटा, जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	**मदन लाल पुत्र चुन्नीलाल जाति रैगर सा.देह खातेदार**	**1086/2/0.21, 1090/0.46, 1096/0.45, 1097/0.31, 1095/1/0.3210 हैक्ट0 भूमि ।**
2	**कैलाश हि. 1/10, जग्गा हि. 1/10, मामराज हि. 1/10, शिम्भु हि. 1/10 पुत्रान नेता, गंगा पत्नि नेता हि. 1/10, जितेन्द्र हि. 1/10, नीतू हि. 1/10, मीना हित्र 1/10, सीमा हि. 1/10 पिता प्रभू सुशीला पत्नि प्रभू हि. 1/10 समस्त जाति रैगर सा.देह खातेदार (राहिन जग्गा पुत्र नेता का हि. पूर्ण सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा पावटा)**	**1091/1/0.2270, 1085/0.03, 1087/2/0.2610, 1089/1/0.1940, 1092/0.34, 1093/0.34, 1095/2/0.3590 हैक्ट0 भूमि ।**
3	**समलाती हि. खाता सं. 47 के अनुसार (राहिन खाता संख्या 47 के अनुसार)**	**1086/1/0.01, 1087/1/0.009, 1091/2/0.003, 1089/2/0.0060, 1088/0.0500 हैक्ट0 भूमि।**

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें।

डिक्री आज दिनांक 18.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गयी।

(डॉ. साधना शर्मा, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	